सत्यमेव जयते

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे ।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष—एक एडजौर्नमेंट मोशन है। मुकदमे की खबर निकली है जिसमें एक जजमेंट ३१ अगस्त, १९५९ को हुआ है और उस फैसले पर कहा गया है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा जाय।

*श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह फैसला ३१ अगस्त का है लेकिन मैंने कल अखबार में देखा है और वेरिफाई करने के बाद मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है कि इसके कबल इसकी जानकारी पाते।

अध्यक्ष—मैं भी नियम से पाबन्द हूं और उसके अन्दर ही हमको भी चलना है। ऐसे ही एक जरूरी केस के बारे में श्री कार्यानिन्द शर्मा ने भी पेश किया था लेकिन मैं तो नियम से जकड़ा हूं।

श्री सभापति सिंह—इसे पढ़ दिया जाय।

अध्यक्ष—किसी स्थगन-प्रस्ताव को नियमानुकूल मान लेने के बाद ही पढ़ा जा सकता है।

विधान कार्य: सरकारी विधेयक:
LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार इरीगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन (बेटरमेंट कंट्रीब्युशन) बिल, १९५८ (१९५८ की वि०सं० १२)।

THE BIHAR IRRIGATION AND FLOOD PROTECTION (BETTERMENT CONTRIBUTION) BILL, 1958 (L.A. BILL NO. 12 OF 1958).

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से सभा के समक्ष जो विधेयक उपस्थित है हम सदस्यगण उसपर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कबल इसके कि श्री रामदेव सिंह के प्रस्ताव का मैं समर्थन या विरोध करूं मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के मूल सिद्धांत से मुझे विरोध है। और विरोध इसलिये है कि आज जिस परिस्थिति में हमारे सूबे के किसान हैं अगर उनसे नया टैक्स वसूल किया जाय तो मैं उसको बेटरमेंट कंट्रीब्युशन नहीं कहूंगा बल्कि इसको मैं लेवी कहूंगा। यह जो लेवी सरकार लेना चाहती है उसके लिए किसानों की परिस्थिति अनुकूल है या नहीं और ऐसी परिस्थिति में इसका लिया जाना आवश्यक है या नहीं। विधेयक के डिटेल में जाने के पहले मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि इस विषय पर बिहार सरकार ने पूर्णरूप से विचार किया है कि बेटरमेंट कंट्रीब्युशन के नाम पर किसानों से टैक्स लिया जाय।

अभी जिस तरह से हमारे किसान अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उससे यही पता चलता हैं कि उनमें और टैक्स देने की क्षमता नहीं है। उनमें इस टैक्स को देने की अब शक्ति नहीं है।

SPEAKER : This is the last straw on the camel's back.

Shri RAMESHWAR PRASAD MAHTHA : It is also a point whether this is the last straw on the camel's back or there are more straws.

में समझता हूं कि हमारे स्टेट् के अधिकतर निवासी खेती पर निर्भर करते हैं और खेती ही उनकी प्रधान जीविका है। अभी वे तरह-तरह के टैक्स के भार से दबे हुए हैं और ऐसी हालत में उनपर इस टैक्स को लगाना कहां तक उचित होगा।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि इस बिल के अनुसार दो तरह के लोगों पर लेभी लगेगा, एक तो उनपर जो सिंचाई योजना से लाभान्वित होंगे और दूसरे वे जो बाढ़ के रोक-थाम से लाभान्वित होंगे। सिंचाई की योजना के बारे में यह लिखा हुआ है कि १० लाख से जो कम की योजना है वहां के लोगों पर यह लेभी नहीं लगेगा। बिल के क्लौज ३ में यह लिखा हुआ है कि:

> "3 (*b*) (*ii*). No betterment contribution shall be levied if the cost of such work, not being a tube-well, river pumping set, reservoir or storage dam, is less than rupee ten lakhs";

इसके मुताबिक जो भी ट्यूब-वेल, रिभर पम्पिंग सेट, रिजर्वायर और स्टोरेज डैम १० लाख से कम का होगा वहां के लोगों पर यह लेभी लगेगा। लेकिन इनके बहुत-से डैम और रिजर्वायर सिर्फ कागज पर ही बनते हैं, और वे पानी देते या नहीं इसको देखने का पावर कचहरी को भी नहीं दिया गया है। पानी दे या नहीं दे लेकिन सरकार लेभी वहां के लोगों पर लगा देगी और वहां के लोगों को कचहरी में जाने से रोक दिया गया है क्योंकि कचहरी का इस मामले में फैसला देने का अख्तियार ले लिया गया है। रिजर्वायर्र या डैम से सचमुच लाभ होता है कि नहीं इसको देखने का भी पावर कचहरी को नहीं दिया गया है। अब अगर आप इस बिल के क्लौज २ को देखेंगे तो पता चलेगा कि:

> "2 (*d*). "Irrigation work" means any work of irrigation or any system of such work, natural or artificial, constructed, improved or maintained by the State Government and includes,—
>
> (*i*) all canals, channels, tanks, wells, tube-wells, reservoirs, ponds, spring-ponds, lakes and other natural collection of water, or parts thereof, all embankments, barrages, weirs, dams, guide banks, river pumping sets, and all other works which are constructed, improved or maintained by the State Government for the purpose of irrigation";

अब क्लौज ३ के अनुसार जो इरीगेशन वर्क १० लाख से कम का होगा उसके लिये वहां के लोगों पर लेभी नहीं लगेगा लेकिन क्लौज २ में जहां पर इरीगेशन वर्क

को डिफ़ायन किया गया है वहां पर उसमें टैक्स, वेल्स, पौंड्स को भी रखा गया है। मेरे जानते तो कोई भी टैक्स, वेल्स या पौंड्स १० लाख का न होता है। इसलिये इन सब चीजों को यहां पर देकर कनफ्यूजन क्रियेट (पैदा) किया गया है और इसके चलते गरीब लोग तबाह हो जायेंगे क्योंकि इनके छोटे-छोटे अफसर (कर्मचारी) जब टैक्स बैठाने लगेंगे तो इन चीजों को यहां पर देखकर इन योजनाओं से लाभ होनेवाले जमीन पर लेभी बैठा देंगे। अब अपील से ही कुछ फैसला हो सकेगा लेकिन यहां पर लौ कोर्ट में अपील करने के लिये भी प्रोवीजन नहीं दिया गया है। इनके डिपार्टमेंटल अधिकारी के यहां अपील हो सकता है। इसलिये हमारा ख्याल है कि यहां से इन चीजों को हटा देना चाहिये। अन्यथा यह confusion worst confounded हो जायगा।

अब बिल के क्लौज ३ के पहले पाराग्राफ को देखें :

"3. *Power of State Government to levy betterment contribution.*—Subject to the provision of section 4, the State Government shall be entitled to levy and recover a betterment contribution in accordance with the provisions of this Act from the owner of any land which in its opinion is benefited by any irrigation work or flood protection work or part of such work whether completed after the commencement of this Act or at any time before such commencement but not earlier than the 15th day of August 1951."

तो मेरा कहना है कि इनके डेट लाइन किस बात पर आधारित हैं। ये चाहते हैं कि १९५१ के बाद जो काम हुआ है उसपर ये कंट्रीब्युशन लगाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि १९५१ के १५ अगस्त का डेट लाइन रखने का क्या मतलब है और इस डिस्टिन्क्शन की क्या जरूरत है और इसका क्या आधार है? ये कहेंगे कि उन योजनाओं पर जिसके जरिये इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो स्कीम पहले से चल रहे हैं उनपर भी १ हजार या ५ सौ रुपया मरम्मत के लिए खर्च हुआ है जिसपर बेटरमेंट कंट्रीब्युशन लगायेंगे चाहे उसके जरिए लोग लाभान्वित हुए हों या नहीं। इनका यह भी कहना है कि अगर रिजर्वायर मरम्मत की जायगी तो उसपर भी बेटरमेंट लगेगा। इसलिये मेरा कहना है कि जिस बिल को पेश किया गया है उससे हमको मालूम होता है किसी को कंट्रीब्युशन लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। अभी हम जेनरल बात कर रहे हैं, जब क्लौजवाइज विचार होगा तब क्लौज पर बोलेंगे। इसका क्या असर लोगों पर होगा, हम नहीं कह सकते हैं। यदि टैक्स की यह नीति रही तो जितनी सिंचाई योजनायें बनायी गई हैं उससे लाभ उठाने के लिए ऐसी हालत में कितने लोग इच्छुक होंगे हम नहीं कह सकते हैं। इनकी सिंचाई योजनायें किसानों में पोपुलर होंगी, यह संदेहजनक है। सिंचाई विभाग के अफसरों की बनायी हुई स्कीमों को कार्यान्वित करेंगे, उस स्कीम के प्रति वहां की जनता की क्या राय है इस बात को भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। योजना निर्माण तक किसानों का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां कुछ स्कीम चल रहे हैं। आप जानते हैं कि छोटानागपुर इलाका पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है। वहां कुछ योजनायें चल रही थीं जिनमें कुछ का कम्प्लीशन भी हो गया है और कुछ चल रही है, लेकिन जिन योजनाओं का कम्प्लीशन हो गया है उससे भी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष—कम्प्लीशन (completion) होने के बाद ही पता चलेगा कि लोग लाभान्वित हुए हैं या नहीं। अभी काम खत्म नहीं हुआ होगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जिस योजना का काम खत्म हो गया है उसीके बारे में हम कह रहे हैं। जो अभी भविष्य के गर्भ में है उसका क्या होगा, यह हम नहीं जानते।

अध्यक्ष—बिल में तो लिखा हुआ है कि जो लोग लाभान्वित नहीं होंगे उनपर बेटरमेंट लेवी नहीं लगेगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—इनके आफिसर्स लोग कागज में लिख देंगे कि इतने एरिया के लोग बेनीफिटेड हुए हैं और जो चीज आफिसर लिख देंगे उसके मुताबिक कंट्रीब्युशन लग जायेगा। मैं अपनी आंखों देखी योजना की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यह योजना पटना-रांची रोड पर है। अध्यक्ष महोदय, यह योजना सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है तथा इसका नाम लोटिया वीयर योजना है। यह योजना पटना-रांची रोड पर हजारीबाग से १२ मील उत्तर है और वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस योजना से १,६०० एकड़ जमीन की पटवन होने वाली थी और इसका कम्प्लीशन हो गया है तो लोगों को क्या लाभ हुआ है, हम जानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय चलकर देखें कि लोगों को क्या उससे लाभ मिल रहा है। इसके लिये नदी में चार-पांच फीट वीयर लगाया गया है। मैं तो टेकनिकल एक्सपर्ट नहीं हूं मगर चार-पांच फीट उंचा वीयर से कितना पानी मिल सकता है, आप समझ सकते हैं। हजारीबाग जिले की विकास समिति की गत बैठक में मैंने पूछा था कि इस योजना से कितनी जमीन लाभान्वित हुई है तो जवाब मिला कि १,३०० एकड़ जमीन की पटवन गत वर्ष हुई है। कहा तो गया कि १,३०० एकड़ जमीन की पटवन हो रही है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि १०० एकड़ जमीन की भी पटवन इससे नहीं हो रही है। सिर्फ कागज में है कि १,३०० एकड़ जमीन की पटवन हो रही है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि १०० एकड़ जमीन की पटवन भी इससे नहीं हो रही है और इस योजना में कम्प्लीट फेलीयोर है।

अध्यक्ष—जो लोग एप्लाई करेंगे पानी के लिए उन्हीं लोगों पर न बेटरमेंट लेवी लगेगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जो आपके भाव हैं वह भाव सरकार के नहीं हैं। आपके भाव में विशेषता है। सरकार के भाव तो यह है कि इनके आफिसर अगर कागज पर लिख देंगे कि इतने एरिया बेनीफिटेड हुए हैं तो उनलोगों से कंट्रीब्युशन ये ले लेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जी हां, सटा अलग है और यह उसके अलावे है।

अब हुजूर, क्लौज ३ के एक्सप्लानेशन १ को देखा जाय, इसमें है कि:

"A land shall be deemed to be benefited from an irrigation work if it is capable of being benefited from such work notwithstanding that the benefit is not enjoyed due to any action or inaction on the part of the owner of such land."

यदि वह बेनिफिटेड न भी हो तौभी सरकार टैक्स लगा देगी।

अध्यक्ष—इसमें तो झगड़ा हो जा सकता है। आप कहेंगे कि कैपेबुल है और लोग कहेंगे कि कैपेबुल नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जी हां, और इसका फैसला इस तरह से होगा कि उनका ओवरसीयर जो इसका इन्चार्ज होगा अपनी कलम से लिख देगा वह सरकार सही मान लेगी। अगर कोई एम०एल०ए० कहेगा कि यहां की जमीन नहीं पटती है तो माननीय मंत्री उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे लेकिन अगर एक २५ रुपया पानेवाला चौकीदार लिख देगा कि जमीन में सिंचाई हो सकती है तो वे इसे मान लेंगे और कहीं अगर चौकीदार को स्थानीय जनता मिला-जुला लिया फिर उसकी गलत सही रिपोर्ट तो इनका टैक्स का आधार होगा। यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ होती है।

अध्यक्ष—आप मिलाना नहीं चाहते हैं इसीलिये बहस करते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—हुजूर, देखा जाय कि सदन के १० माननीय सदस्य अगर कुछ कहें तो माननीय मंत्री सुनने को तैयार नहीं हैं लेकिन अगर एक चौकीदार कहे तो डी०एम० से लेकर मिनिस्टर तक का उसपर डिटो ही मार देंगे।

हुजूर, अब इसके बाद क्लौज ३ के एक्सप्लानेशन २ को देखा जाय। इसमें है कि:

"For the purposes of this Act, the date of completion of an irrigation work or flood protection work or part of such work shall be the date which may be notified in this behalf by the State Government in the Official Gazette."

महोदय, इसमें भी वैसी ही बात है कि औफिशियल गजट में पब्लिकेशन होगा तो इसका कम्प्लीशन माना जायगा। इनका ओवरसीयर जो लिख देगा उसे गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी और इलाके के किसानों को पता भी नहीं चलेगा कि कब और कौन स्कीम पूरी हुई बल्कि जब डिमांड नोटिस उन्हें मिलेगी तभी उन्हें इसकी खबर होगी। इसके अलावे कौन-कौन जमीन बेनिफिटेड हुई इसकी भी जानकारी उन्हें औफिशियल गजट से ही होगी। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे मंत्री महोदय इसकी उम्मीद रखते हैं कि सभी किसान गजट पढ़कर जान जायेंगे कि फलां-फलां एरिया लाभदायक होने वाला है।

इसके बाद छोटानागपुर पर आता हूं। देखा जाय कि छोटानागपुर पर माननीय मंत्री की विशेष कृपा हुई तो क्लौज ४ के प्रोविजों में आप लिखते हैं कि:

Provided that where the lands or buildings benefited from an irrigation work or flood protection work lie within the local limits of the districts of Ranchi, Hazaribagh, Palamau, Singhbhum, Dhanbad or Santhal Parganas, the rate of betterment contribution shall be fourth/fifth of the rates mentioned in clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*).

अध्यक्ष महोदय, यह छूट इनकी उदारता का परिचायक है कि इतना छूट उन्होंने दिया लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर यह जो चार-पांच की छूट है इसका आधार क्या है और अगर कोई आधार है तो चार-पांच पर ही सीमित क्यों है? मैं कहता हूं कि यह छूट नहीं बल्कि यह सिर्फ आई वाश (eye-wash) है। जो चम्पारण, सारन आदि जगहों में पानी पटेगा और जमीन में जितनी फसल होगी इसमें और छोटानागपुर की जमीनों में पटवन से जो फसल होगी उसमें कई गुणा क्या फर्क नहीं है। यदि चार-पांच का फर्क है तब तो ठीक है लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर इस छूट में कोई विशेष कारण हो तो आप बतला दें। मैं कहता हूं कि आखिर इसका कोई क्राइटेरिया है या नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि पहाड़ी इलाके में जितनी स्कीमें हैं और जिससे इरिगेशन होता है उसके लिहाज से किसी भी हालत में टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिये कि वहां कोई भी एश्योर्ड इरिगेशन की स्कीम हो नहीं सकती है। हम तो यही देखते हैं कि अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होती है। आप कोई भी ऐसी मिसाल बतला दें कि वर्षा नहीं हुई हो और आपकी स्कीम से फसल पैदा की गई है। हां, कागज पर भले ही आप दिखलाया करें कि इतनी स्कीमें हमारी तमाम चलती हैं। हुजूर, मैं तो कहूंगा कि इन इलाकों में किसी तरह भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप १० वर्षों का इरिगेशन का बजट देखें तो मालूम होगा कि कितना कम परसेन्ट छोटानागपुर में सिंचाई की योजना पर खर्च हुआ है।

कोडरमा में एक टेकनिकल स्कूल है, वहां उसकी आवश्यकता नहीं बतलाई जाती है चूंकि हजारीबाग जिले में एक और टेकनिकल स्कूल है। वहां से मुंगेर जाना चाहिए तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिंचाई की योजना में जो रुपये खर्च करते हैं क्या हजारीबाग जिले में दूसरे जिले के बराबर उसका कितना प्रतिशत उस अंचल में खर्च किया जाता है, कतई नहीं। यदि नहीं किया जाता है तो आपको क्या हक है कि वहां भी बिहार के और इलाकों की तरह ही टैक्स लगायें। आपका यही दलील है कि वह इलाका पहाड़ी है, यहां उस तरह की सिंचाई योजना लाभदायक नहीं होती है तो फिर टैक्स के मामले में आप क्यों नहीं सोचते। बिहार के लिये सिंचाई का मास्टर प्लान बन रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें भी सिंचाई योजनाओं की संख्या छोटानागपुर में बहुत कम होगी। इसी तरह की बात होगी। आज इनकी जो रवैया है वह आई-वाश (eye-wash) की तरह पर एक-दो स्कीम ले लेते हैं। जब वहां के लिए उस तरह का प्रबन्ध नहीं हो सकता है तो फिर आपको वहां लेवी लगाने का क्या हक है? मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रतिशत में जिस हिसाब से बिहार के और हिस्सों में यह टैक्स लगा रहे हैं उस हिसाब से छोटानागपुर में नहीं लगाना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो वहां के किसानों की रीढ़ तोड़

डालेंगे, जो किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। यह अहम सवाल है, गंभीर विषय है। यों तो जो परिस्थिति हमारे सूबे में है उसके अनुसार यह बिल इसके लिए मौजू नहीं है, यह सारे सूबे के लिए खराब है। दूसरी कुछ योजनायें कालामिटी के नाम पर हैं वहां भी आप कहेंगे कि इस टैक्स को लगाना चाहिए क्योंकि उनलोगों को फ्लड से बचा लिया है, अब उनके घर-दुआर नहीं गिरेंगे, अब उन्हें मचान पर नहीं रहना पड़ेगा। कोशी एरिया में मैं गया था वहां के लोगों की दशा देखी है। अभी भी लोग परेशान ही हैं इसका माने यह होगा कि मचान पर रहनेवाले से भी ये बेटरमेंट के नाम पर टैक्स लेने जा रहे हैं। कल तक इनलोगों के घर का ठिकाना नहीं था लेकिन आज जब बाढ़ से बचाव हो गया है तो क्या इनलोगों के लिए ऐसा वक्त आ गया कि वे खुशहाल हो गये और इतना टैक्स देने के लायक हो गये? बांध बंधी नहीं कि टैक्स लगा देंगे। क्या इन चार वर्षों में लोग टैक्स देने के लायक हो गये? उनकी हालत में इतनी सुधार आ गयी? कोशी एरिया, जहां के लोग इतने तबाह और बर्बाद थे वहां पर सरकार इसे लगाने जा रही है क्या यह उचित है? वहां के लोग तो अभी हाल-हाल तक कोशी की बाढ़ से पीड़ित रहे हैं, तबाह रहे हैं। क्या चार-पांच साल में वे लोग सुख की चैन करने लगे? मैं समझता हूं कि उस इलाके म इसको नहीं लागू करना चाहिये था।

अध्यक्ष—वहां के लिये भी यह लागू है?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जी हां, वहां भी यह लागू किया जायगा। इतना ही नहीं अंग्रेजों के जमाने में भी स्कीम ली गयी थी और उससे लोग लाभान्वित हुए हैं तो वहां भी इसे लागू किया जायगा। हमारी सरकार ने तो पहले अपने बिल में इसे १९४७ के बाद चार साल से लागू करने की बात रखी थी लेकिन जब यह बिल सेलेक्ट कमिटी में गई तो वहां १९५१ के बाद से कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसे वापस ले ले क्योंकि अभी यह मौजू नहीं है। एक वक्त आ सकता है जब लोग खुशहाल हो जायेंगे, जब किसानों की हालत अच्छी हो जायगी तो लोग खुशी से इस टैक्स को दे सकेंगे लेकिन अभी इस टैक्स को लगाने जा रहे हैं यह उचित नहीं है। आप कहेंगे कि इससे हमको एक करोड़ रुपया मिल जाता है पर मैं कहूंगा कि इसे नहीं लगायें तो भी आप एक करोड़ को कौन कहे चार करोड़ रुपया ले सकते हैं यदि आप केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी हकों को ले सकें। हमारे राज्य में जितना खनिज पदाथ है उतना कहीं भी नहीं पाया जाता है, इससे हम काफी उद्योग-धंधों को चला सकते हैं जिससे काफी आमदनी सरकार को हो सकती है। आप ब्लैक मार्केटिंग को नहीं रोक सके हैं, जितना टैक्स है वह नहीं वसूल ही पा रहा है। आप बड़े-बड़े लोगों के उपर टैक्स वसूलने में मिहरबानी करते ह और उनसे सांठ-गांठ करते हैं और उसके बाद गरीब किसानों से एक करोड़ रुपया हासिल करना चाहते हैं लेवी के नाम पर। हमारे यहां जो हाथी ऐसे बड़े-बड़े अफसर ह उनपर की जानेवाली फिजूल खर्ची को रोक नहीं सकते हैं। उनकी बर्बादी को नहीं रोक सकते हैं लेकिन किसानों से टैक्स लेंगे बेटरमेंट के नाम पर। यदि किसानों को बिहार में रहना है तो उन्हें टैक्स देना ही होगा चाहे इसके लिये जो भी हालत उनकी हो जाय। ऐसी हालत में मैं फिर आग्रह करूंगा कि सरकार इसे वापस ले ले यदि इस

बात से आपलोग सहमत नहीं हैं तो कहूंगा कि श्री रामदेव सिंह का जो प्रस्ताव है कि इसे जनमत में प्रचार का प्रस्ताव है उसका समर्थन करें। सिंचाई मंत्री खुद अपने कलेजे के ऊपर हाथ रखकर कहें कि क्या यह बिल इस समय के लिए मौजू है? मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय और उपमंत्री महोदय अपने ही क्षेत्र में जायें और वहीं के लोगों से पूछें कि वे सहमत हैं या नहीं, यदि वहां के लोग इस बिल से सहमत हो जायेंगे तो हमलोग भी उनके साथ सहमत हैं लेकिन अगर वहीं के लोग उनका साथ नहीं दें तो डेमोक्रेसी के नाम पर, पांचसाला ठीका के नाम पर बिहार के किसानों की रीढ़ तोड़नेवाला यह बिल है। इस बिल को, मैं उनसे साग्रह अनुरोध करता हूं कि वे वापस ले लें।

(अन्तराल)।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, जो बिल प्रवर समिति से इस सदन में आया हुआ है और उस पर माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह ने जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। उस प्रवर समिति का मैं एक सदस्य था और उसने एक उप-समिति बनायी थी जिसका भी मैं एक सदस्य था और करीब-करीब प्रवर समिति की हर बैठक में मैं उपस्थित रहा। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री ने काफी प्रयास तथा परिश्रम किया है लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि हमलोगों से उनका मत नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम और हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि देश के विकास के लिये जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बेटरमेंट लेवी नाम की चीज लगे लेकिन हमको यह भी देखना है कि इस कर का भार किन लोगों के ऊपर लगना चाहिये। बिहार के किसानों की कमर, कर के भार से टूट गयी है। बेटरमेंट लेवी उनलोगों से लेना चाहिये, उन पर लगना चाहिये जिनके पाकिट में पैसा हो जिनकी तिजौरी में पैसा हो न कि गरीब किसानों से जिनका पेट भी भर नहीं पाता है। कर लगने का मूल भूत सिद्धांत यही है कि जिनको पैसा बचे, जो तिजोरी में पैसा जमा कर सकें उन्हीं को कर लगे। देश के विकास के लिये पैसा ऐसे ही लोगों से लेना चाहिये न कि उन लोगों से जिनके पाकिट में पैसा तो जाता ही नहीं है, बल्कि जिनको खाने के लिये मोटा अन्न, मोटा कपड़ा, किताब, दवा और निवास स्थान भी नहीं है। यदि हम इस बिल को पास करते हैं तो बिहार के किसान जो आये दिन सूखा, बाढ़, कटाव से दुःखी और पीड़ित रहते हैं उनकी हालत क्या होगी?

यदि हम इस पर विचार करते हैं तो इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जो बिल सदन में पेश है उसको सरकार वापस ले ले। सरकार के पास बड़े-बड़े साधन हैं जिनके द्वारा वह पैसा प्राप्त कर सकती है।

दूसरी बात यह है कि हमको यह भी देखना है कि सरकार के खजाने में हम जितना पैसा जमा करते हैं उसका सदुपयोग होता है या नहीं, उसका खर्च किस रूप में होता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि १९४७ के पहले इस देश में जब अंग्रेजी सरकार थी तब बिहार में कितनी ऊपज होती थी और उस समय बिहार के किसानों की हालत क्या थी? आप जानते हैं कि १९५१-५२ से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। हमको उसका टारगेट देखना चाहिये और सरकार ने उस पर कितना खर्च किया है और टारगेट पूरा हुआ या नहीं। बिहार सरकार ने एक पुस्तक "बिहार स्टेटिसटिक्स हैन्ड

बुक १९५४ में छापा है जिसको देखने से हमारा सर शर्म से झुक जाता है। गरीब किसान अपना पेट काटकर सरकार के खजाने में पैसा जमा करते हैं और करते आये हैं लेकिन उनको हालत पहले से बहुत गिर गयी है। सरकार का कहना है कि सहर्षा और पूर्णियां में जूट होता है लेकिन यह सरकार के लिये शर्म की बात है कि १९४७ के पहले जब वहां प्रति एकड़ १० मन जूट पैदा होता था तब कांग्रेस मंत्रिमंडल के शासन में ८ मन प्रति एकड़ हो गया है।

अब में १९३६-३७, से इस समय तक का प्रोडक्शन का फिगर सदन के सामने रखना चाहता हूं। १९३६-३७, में इस सूबे में ३२,०१५ हजार टन चावल पैदा हुआ था जबकि उस समय इतनी जमीन में खेती भी नहीं होती थी। क्योंकि इस सरकार का दावा है कि उसने इतनी जमीन को आबाद किया है जो पहले परती रहती थीं। परन्तु चावल का प्रोडक्शन घटते-घटते १९४७-४८ में २५०९९ हजार टन हो गया और १९५४-५५, में २६,०१३ हजार टन हो गया हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतना पैसा खर्च किया गया तो.....

अध्यक्ष—१९५४ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कितना वर्ष बीत गया था?

श्री रामानन्द तिवारी—४ वर्ष। १९३६-३७ में इस सूबे में ४,०३५ हजार टन गेहूं पैदा हुआ और १९५४-५५ में यह घटकर ३,०२५ हजार टन हो गया। इसी प्रकार १९३६-३७ में ४,०८३ हजार टन मकई पैदा हुई जो १९५४-५५ में घटकर ३,०८८ हजार टन हो गयी। चना १९३६-३७ में ४,०५० हजार टन था परन्तु यह घटते-घटते १९५४-५५ में २,०६३ हजार टन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, और हमारे यहां की सरकार की क्षमता देखिये और जो किसानों की उन्नति हुई है वह देखिये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं फिगर बतल रहा हूं। सन् १९४६-४७ में औटम राइस ५ लाख ६७ हजार १०० टन पैदा हुआ, सन् १९५२-५३ में १ लाख ८९ हजार ७९२ टन, सन् १९५४-५५ में १ लाख ७२ हजार ९५३ टन और सन् १९५७-५८ में २ लाख १३ हजार १२० टन औटम राइस पैदा हुआ।

सन् १९४६-४७ में विन्टर राइस २१ लाख ९७ हजार ९०० टन पैदा हुआ और सन् १९५७-५८ में १६ लाख ४ हजार ५३६ टन पैदा हुआ। इस तरह से यहां भी ५ लाख टन का घाटा हुआ। अध्यक्ष महोदय, अब गेहूं देखिये, सन् १९४६-४७ में ३ लाख ७१ हजार २०० टन और सन् १९५६-५७ में १ लाख ३६ हजार ७५२ टन सन् १९५७-५८ का फीगर मैंने नहीं देखा है।

अब चना देखा जाय, सन् १९४६-४७ में ४ लाख ३६ हजार १०० टन पैदा हुआ और सन् १९५६-५७ में २ लाख ५७ हजार ११७ टन पैदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने सिंचाई का प्रबन्ध किया, आपने नलकूप लगवाए, आपने माईनर इरिगेशन पर लाखों रुपये खर्च किये हैं लेकिन आपका क्या उद्देश है? पैसा कहां जाता है? आप किसानों के जमीन के सिंचाई करते हैं तो आप यह समझते हैं कि उन लोगों पर बेटरमेंट लेवी लगना चाहिये क्योंकि उनकी भलाई हुई है, और वे बेटर हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका

मापदंड क्या है ? आपने नलकूप लगवाए, आपने कुएं खुदवाये, आपने बांध बंधवाए, नहर बनवाए, माइनर इरिगेशन का काम किया और तालाब बनवाए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ ? शायद आप यह समझते हैं कि जो कुछ किया है उससे किसानों की भलाई हो गयी है। शायद आप केवल यही समझते हैं कि इन सारी चीजों को बनवा दें लेकिन यह आप नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ और क्या हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, यह जो फीगर दिया गया है यह रामानन्द तिवारी का नहीं है, किसानों का नहीं है वल्कि इसी सरकार का है जो कहते हैं कि बेटरमेंट लेवी इसलिये लगाते हैं कि किसानों की भलाई हुई है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये आपका नैतिक कर्त्तव्य है कि जहां प्रोटेक्शन नहीं हुआ है वहां आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्या यही आपका नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है ? आप किसानों पर टैक्स लगाते हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब किसान आते हैं और एम० एल० ए० महोदय से कहते हैं, तिवारी जी से कहते हैं कि कृपा करके किसी मंत्री महोदय से हमारे बच्चों के पढ़ने के लिये पैसा दिलवा दें, डी० पी० आई० से पैसा दिलवा दें। जब उन्हें पढ़ने के लिये इस तरह की कोई मदद नहीं मिलती है तब वे लड़के पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। आपके यहां तीन हजार चार हजार तक वेतन पानेवाले अधिकारी मौजूद हैं जिनके लड़के कार पर पढ़ने के लिये जाते हैं, उनके साथ अफसर का अर्दली पहुंचाने के लिये जाता है, उन्हें साईकिल पर ले जाता है, उनके लड़के अमेरिका, इंगलैंड पढ़ने के लिये जाते हैं, इनमें से बहुतों ने बोरींग रोड पर मकान बनवाए हैं जिससे उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। उनका रुपया स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक में लाखों-लाख और हजारों-हजार जमा हुआ है, उनका बेटरमेंट हुआ या नहीं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने लाखों रुपया बैंक में जमा किया है, उनका बेटरमेंट हुआ है या नहीं ? मुझे अफसरों के सहयोग की आवश्यकता है लेकिन जिन्होंने लाखों रुपये बैंक में जमा किये हैं, जिनके बच्चे सेंट्रल सेंटजेवियस में पढ़ने जाते हैं, इंगलैंड और अमेरिका जाते हैं और दूसरी ओर हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे, भादो की बरसात में खेती की रखवाली करते हैं, जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, बेटरमेंट के नाम पर पेट काट कर वे पैसा देंगे, क्या आपकी यह दलील नैतिकता के आधार पर स्थित है ? अध्यक्ष महोदय, अशोक मेहता के नेतृत्व में एक कमिटी बनी उसमें मेमोरेंडम दिया था बिहार सरकार और बिहार सरकार का कहना यही है.............

अध्यक्ष—एक संशोधन है जिसमें यह बात निहित है कि जिसको इतनीजमीन होगी

उनके ऊपर यह लेवी लगेगी।

श्री रामानन्द तिवारी—अशोक मेहता जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की सरकार ने

एक कमिटी बनाई थी फुड कमिटी और बिहार सरकार ने एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें बिहार सरकार का कहना है :

There was, however, a set back in our production during the quinquennium covered by the First Five Year Plan. Thus, against an average annual production of 4917 thousand tons of the five important cereals during the five years ending 1950-51, the average annual production was only 4,500 thousand tons during the quin-

quennium ending 1955-56. While the average annual production of cereals on an all-India basis is estimated to have increased by 26 per cent from 5 years ending 1951-52 to five years ending 1956-57, the production of the important cereals in Bihar is estimated to have gone down 8 per cent from the quinquennium ending 1950-51 *to the quinquennium* ending 1955-56.

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का यह ख्याल था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद २६ प्रतिशत उपज बढ़ेगी वहां हमारी बिहार सरकार जिसको अपने ऊपर बड़ा अभिमान है उसका प्रोडक्शन घट गया । श्रौल इन्डिया इडेंक्स की ओर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि :

		All-India Index.	Bihar Index.
1950-51	..	90.5	68.4
1951-52	..	91.1	74.8
1952-53	..	101.1	93.8
1953-54	..	119.1	103.3
1954-55	..	114.4	75.3
1955-56		111.3	91.1

तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप बेटरमेंट टैक्स लगाना चाहते हैं। लगाइये, लेकिन बेटरमेंट के नाम आप हजारों और लाखों रुपया उनपर टैक्स लगाना चाहते हैं जिनके पास बरसात में रहने के लिए घर नहीं है, यह कहां का न्याय है। आप कहते हैं कि प्रवर समिति में काफी काट छांट कर यह बिल लाया गया है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बेटरमेंट लेवी टैक्स नहीं लगावें क्योंकि किसानों का मेजरमेंट हुआ नहीं है। आपने जो मेमोरन्डम दिया था उसमें लिखा था कि जहां पहले सिंचाई का प्रबन्ध हो चुका है उसपर सिंचाई का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन १९५१ से ही आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। एक बार आप एक तरह का मेमोरन्डम देते हैं और दूसरी तरफ उसका उलंघन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि :

"Somewhat different considerations apply to minor irrigation schemes. Very often, these works do not provide adequate protection, and the betterment is neither permanent nor clearly determinable. The cost of construction is not heavy and the maintenance cost is also low. For some works, part of the cost has been recovered (or is recoverable) from the cultivators either in cash or through labour contributions. A betterment levy on lands served by wells and tanks is, therefore, not justified. Minor irrigation works like tube-wells and storage tanks, which provide substantial

benefits and for the construction of which Government incur considerable expenditure, stand, however, in a different category. But even on these, it would be more appropriate to make a small additions to the water-rate than to levy a betterment charge".

अध्यक्ष महोदय, यह हमारा नहीं, बल्कि सरकार ने जो कमीशन नियुक्त किया था उसमें लिखा है कि आहर, पइन, तालाब, और पोखर के जरिये जो सिंचाई होती है उसपर सिंचाई टैक्स लग सकता है लेकिन बेटरमेंट लेवी टैक्स नहीं लगेगा। आज ट्यूब-वेल की क्या हालत है? हमारे मुख्य मंत्री जी मुंगेर जिले में गये थे। वहां लोगों ने उनको ट्यूब-वेल की हालत दिखलाया तो उसकी हालत देखकर उन्होंने एक बड़े अफसर सोहनी साहब के अधीन जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त किया। सोहनी साहब जैसे बड़े अफसर ने, जो पटना के कमीश्नर हैं, अपना काम छोड़कर इस चीज की जांच-पड़ताल की और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट इसके बारे में दी, लेकिन उसको सदन में नहीं रखा गया। आपने जब ट्यूब-वेल की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया तो आपका क्या कर्त्तव्य नहीं था कि उस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश करते? इसका क्या मतलब है? यही न कि आप इस चीज को सदन के सामने छिपाना चाहते हैं। आपको यह चाहिए था कि माननीय सदस्यों के सामने सोहनी कमिशन की रिपोर्ट सदन में रखते। इसलिए आपके माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सिंचाई मंत्री जी सोहनी साहब की रिपोर्ट को सदन में रखें। मुझे बड़ा दुख होता है जब कि मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और नाला पइन को देखता हूं जिसकी ईंट भी टूट गयी है। सीमेंट बालू तो बरबाद हुआ ही लेकिन ईंटा भी नहीं है। पता नहीं, नलकूप विशेषज्ञ जाकर क्या देखते हैं और जांच करते हैं। गरीबों के पैसे का महत्व आपके सामने नहीं है। सन् १९४४ तक मैं हरिजन सेवक पढ़ा करता था उसमें एक लेख विनोवा जी का पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि समाज का सेवक वही है जो कम से कम समाज से पैसा ले और अधिक से अधिक समाज का काम करे। लेकिन जो आदमी अधिक से अधिक समाज से पैसा लेता है और कम से कम समाज की सेवा करता है वह समाज सेवी नहीं, बल्कि वह समाज का लुटेरा है। वह समाज से पैसा लेकर बैंक को भरता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी गणना किसमें की जाय। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष—विस्तार में नहीं जाइये। आप इस तरह कह सकते हैं कि आप समाज से पैसा लेते हैं और उसको बर्वाद करते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है कि जब हमलोग प्रश्न देते हैं तो तीन-तीन चार-चार साल तक प्रश्न पड़ा रहता है....

अध्यक्ष—यह यहां संगत कैसे है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं कहना चाहता हूं कि हमलोग प्रश्न देते हैं....।

अध्यक्ष—यह यहां संगत नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—में बतलाता हूं। प्रति मंत्री और प्रति उप-मंत्री पर इस स्टेट में एक दिन में सात हजार रुपया खर्च होता है। मंत्री और उप-मंत्री अखबार लेते हैं। ठीक है अखबार लेना भी चाहिये। लेकिन यह कैसे माना जा सकता है कि जो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर अधिकांशतः टूर में रहते हैं, आफिस का फाइल देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और इतनी देर तक असेम्बली में बैठते हैं, २०-२५ अखबार नित्य पढ़ लेते होंगे। हालत यह है कि एक-एक मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर २०-२० और २५-२५ अखबार तक लेते हैं और एक-एक महीने में ४०, ५०, ६० तथा ७० रुपया तक बिल देते हैं। सितम्बर महीने में एक मंत्री ने १०३ रुपया ४४ नैये पैसे अखबार के बिल में दिये थे। एक उप-मंत्री ने ६३.२५ रुपयों का बिल दिया था। सितम्बर महीने में श्री केदार पांडे ने अखबार वाले को ६३.२५ रुपया दिया था। इस तरह से गरीब का पैसा बरबाद हो रहा है। आजकल एक मिनिस्टर को १,५०० रुपया वेतन मिलता है, आठ आने माईल भत्ता मिलता है और दस रुपया डेली एलाउन्स मिलता है। क्या यह चीज यह नहीं प्रमाणित करता है कि इस राज्य के गरीब जनता का पैसा पानी के जैसे बहाया जा रहा है?

अध्यक्ष—यह बजट स्पीच नहीं है। अगर इस तरह से आप सारी बातों को कहने लगेंगे तो सारा बजट ही इसमें आ जायगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहिये कि काफी फिजूलखर्ची होती है। इस तरह का एक दो उदाहरण देकर आपको आगे बढ़ना चाहिये।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छा, मैं नहीं कहूंगा। इनलोगों को इस तरह से पैसा खर्च करने में दुख नहीं मालूम होता है। आज सूबे की हालत यह है कि हजारीबाग में लोग सखुआ का पत्ता खाकर जीवन-यापन कर रहे हैं और हमारे जिले में लोग आम की गुठली खाकर जीते हैं। क्या जिस सूबे में इस तरह की हालत हो वहां की सरकार अपने खर्च में कंटेल नहीं कर सकती है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे राज्य में ९ मंत्री और ११ उप-मत्री से काम चलता था।

अध्यक्ष—शांति, शांति। एक सदस्य उसके बारे में पहले भी कह चुके हैं। अब आप दूसरी बात कहें।

श्री रामानन्द तिवारी—जी अच्छा, मैं इस संबंध में एक नयी चीज कहना चाहता हूं। वह यह है कि अब फिर दो मंत्री और बढ़ाये जानेवाले हैं। यदि सोहनी साहब की रिपोर्ट सभा में आ जाय तो सब बातें साफ हो जायगी। यदि सरकार मंत्रियों और उप-मंत्रियों के खर्च में कमी करे तो बहुत कुछ पैसा बच सकता है।

हमारे राज्य में टैक्स का कई करोड़ रुपया लोगों के यहां बाकी पड़ा हुआ है मगर वसूल नहीं हो रहा है, वे लोग कैपटिलिस्ट हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार बिना

बेटरमेंट लेवी लगाये भी इतना पैसा जमा कर सकती है यदि इन लोगों से रुपया वसूल कर ले लेकिन आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। क्या सरकार यह प्रमाणित कर सकती है कि किसानों का प्रति एकड़ प्रोडक्शन बढ़ा है ? यदि इसे नहीं प्रमाणित कर सकतीं है तो उसे यह टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। मैंने तो सरकारी फीगर से ही यह प्रमाणित कर दिया है कि किसानों का खेत का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। सोन कनाल से पटना, गया और आरा जिला लाभान्वित होता है। यह १८७२ में बनाया गया था। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। इससे लोगों को लाभ भी हुआ है। मगर अंग्रेजों ने किसी तरह का बटरमेंट नहीं लगाया। चम्पारण में त्रिवेणी कनाल बना उसपर कोई टैक्स नहीं लगा। इसपर सरकार कहेगी कि उसे तो यहां विकास का काम करना नहीं था इसलिये नहीं लगाया। तो मैं कहता हूं कि आप भी लगायें लेकिन उससे जब प्रोडेक्शन बढ़े या फायदा हो तब। आपके एक्सपर्ट्स के चलते आपके कई करोड़ रुपया खर्च पर भी किसानों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। अभी बिहार राज्य की स्थिति यह है कि बिहार के किसानों की स्थिति बड़ी बदतर है, उनकी कमर टूट गई है, वे भिखमंगे हो गये हैं, सालों-साल के कटाव, बाढ़ और सूखा के चलते। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यह जो वटरमेंट लेभी किसानों पर लगाने जा रही है उसे बन्द कर दे।

जो किसान खाद नहीं पाता है, जो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाता है, जिसके पास बीमार होने पर दवा करने की शक्ति नहीं है उसको भूखा रखकर आप यह लवी लगाने जा रहे हैं यह कहां तक न्यायसंगत है। आपने सिंचाई का रेट दुगूना कर दिया १९५३ साल में। कार्यानन्द शर्मा जी ने आपसे कहा कि सकड़ी कनाल का रेट आपने बढ़ा दिया। आप का कहना था कि सोन कनाल के रेट के मुताबिक किया लेकिन ऐसा करने पर आपने बढ़ाया तो। जो पहले रेट था उससे अधिक लगा दिया। किसान मालगुजारी देता है, सेस देता है उसपर चावल और गेहूं की जब बिक्री करता है तो आप कहते हैं कि पैसे अधिक मिल गये। लेकिन चीनी का दाम किस तरह बढ़ा इस सदन से संकल्प पास करके ईख का दाम १ रु० १२ आना मन रखा उसको घटाकर १ रु० ५ आना कर दिया। जब आप जानते हैं कि आठ आना प्रति सेर चीनी बनाने का खर्च है तो बाकी पैसा तो पूंजीपतियों के जेब में ही जाता है। आपको तो चाहिये था कि संकल्प जिस तरह पास हुआ था उसीको भेज देते लेकिन उसके साथ आपने अपनी राय भी जोड़ दी जिसका नतीजा यह हुआ कि १ रु० ५ आना मन खेत में और १ रु० ७ आना गेट पर दाम कर दिया गया।

अध्यक्ष—आप दुहरा रहे हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपका कर्त्तव्य केवल बेटरमेंट लेवी लगा देने से पूरा नहीं हो जाता है। आपको तो एक कमिटी नियुक्त करनी चाहिये जो सारे राज्य में घूम-घूमकर यह देखे कि कहां पैसा बच सकता है। किस पोस्ट को हटा देने से सेक्रेटेरियट में या दूसरी जगह पैसा बच सकता है। उसका पता लगाकर पैसे को बचाना चाहिये। जब मैं १९५२ में इस सभा में आया तो मैंने देखा कि कहां-कहां खस की टट्टियां लगी हुयी है और मैंने

इसपर प्रश्न भी किया लेकिन उन टट्टियों का लगना बढ़ता ही गया। सेक्रेटेरियट में मुझसे एक अफसर ने कहा कि तिवारी जी मैंने तो मना कर दिया था कि खस की टट्टी नहीं लगायी जाय लेकिन फिर भी वे लगायी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अस्पताल में जहां बीमारी से लोग कराहते हैं उनको खस की टट्टी की जरूरत है लेकिन वहां नहीं लगायी जाती है। जहां बिजली के पंखे हैं, जहां के हर तरह का आराम है उस जगह पर यह खस की टट्टी लगायी जाती है। आप जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया, मगर "जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासुगदुन कपि रूप दिखावा"। मैं यह पूछता हूं कि यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह की बेटरमेंट लेवी लगाने जा रहे हैं। आपको सोचना है कि आप कहां कम खर्च करें। बिहार राज्य, अध्यक्ष महोदय, बहुत गरीब राज्य है। यहां प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति केवल २०४ रु० की आय है उसपर हमारे राज्य का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। जो बड़े-बड़े अफसर हैं, जो माननीय मंत्री तथा उप-मंत्री हैं उनमें वृद्धि नहीं कीजिये। सभी चीजों में कमी करके पैसा बचाकर बिहार राज्य के विकास में आप खर्च कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि आप ऐसा नहीं कीजिये क्योंकि बिहार राज्य के किसान में आज हिम्मत नहीं है कि वह और टैक्स दे। आप उनका खून मत लीजिये। रामायण में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, कि रावण ने जब लोगों में टैक्स देने की शक्ति नहीं रह गयी तो उनसे खून लेना शुरू किया, महात्माओं से खून लेना शुरू किया टैक्स के रुप में उसके पाप का घड़ा भर गया और तब आप जानते हैं क्या हुआ? उसी तरह बिहार सरकार जब बिहार राज्य की जनता में टैक्स देने की शक्ति नहीं रह गयी है तो अधिक टैक्स लगाना चाहती है लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने अफसरों में कमी कीजिये उससे जो रुपया बचेगा उसको विकास के कामों में लगाइये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेटरमेंट लेवी आज से दो-चार, दस-बीस वर्ष बाद जब किसानों की हालत अच्छी हो जाये तो लगाइये हम विरोधी दल के सदस्य आपके साथ रहेंगे। उनपर अभी लेवी नहीं लगाकर बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट जैसे डालमियां, बिरला और टाटा है जिनकी करोड़ो की आमदनी है उनपर लगाइये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बोरिंग रोड चलकर देखें। वहां उनको बहुत-सी बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी उनलोगों की जिनको सरकार ने एडवान्स रुपया दिया है और सरकार से रुपये लेकर उन्होंने मकान बनवाया है और उन मकानों को किराया पर लगाया है। अगर बिल बनाकर उनसे आप बेटरमेंट लेवी लें तो हमलोग आपके साथ हैं और हमलोग यह प्रयास करेंगे कि उनलोगों से बेटरमेंट लेवी लिया जाय। इसके लिए हमलोग पूर्णरूप से आपके साथ हैं और हम हर तरह से सहयोग देंगे। हमारे सिंचाई मंत्री बहुत उदार हैं। और गरीब किसानों के प्रति उनको बड़ी श्रद्धा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बिल को उठा लेगी और इसकी जगह पर उनलोगों से जिनके बारे में मैंने ऊपर जिक्र किया है बेटरमेंट लेवी वसूल करने के लिए एक बिल लावेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री और उप-मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस नये टैक्स को गरीब किसानों पर नहीं लगावें और इस बिल को उठा लें।

*श्री रूपलाल राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार इरिगेशन ऐंड फ्लड प्रोटेक्शन (बेटरमेंट कंट्रीब्युशन) बिल, १९५८, जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है और जिस पर श्री रामदेव सिंह का संशोधन है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब तक देश की पैदावार और खास कर बिहार राज्य की पैदावार और किसानों की माली हालत काफी सुधर नहीं जाय तब तक मैं समझता हूं कि इस नये टैक्स को लगाने की आवश्यकता नहीं है । भूतपूर्व वक्ता श्री रामानन्द तिवारी जी ने फैक्ट और फिगर के साथ यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि बिहार राज्य की पैदावार कितनी घट गयी है । कांग्रेस सरकार के हाथ में इस राज्य शासन भार आने के बाद से जितनी माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन या जो अन्यान्य स्कीमों लायी गयीं हैं और उसके आधार पर जो यह कहा गया है कि प्रोडक्शन, गया है और बिहार सरकार ने आंकड़े भी रखे हैं, इस संबंध में मैं समझता हूं और सदन के प्रायः सभी सदस्यों का भी यही मत होगा कि जिस तरह सरकार की तरह से पिछले कई वर्षों में बहुत से लोगों में मुफ्त कर्ज और अन्न का वितरण होता रहा है वह इस राज्य के किसानों के यहां पैदावार बढ़ने का द्योतक नहीं समझा जा सकता है । ऐसी हालत में मैं यह कहता हूं कि इस राज्य में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है ।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो आप अन्न बांट रहे हैं और दूसरी तरफ पैसे भी मांगते है यह परस्पर-विरोधी है ।

श्री रूपलाल राय—दूसरी बात भी तिवारी जी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इस राज्य में फिजूल खर्च बहुत बढ़ गया है । बहुत से अफसरों और उनके साथ काम करने वाले अन्यान्य कर्मचारियों की तनख्वाह पर बहुत पैसों का अपव्यय किया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि जो बड़े-बड़े पूंजी पति हैं, जिन्होंने बैंकों में लाखों-लाख रुपये मुनाफा का जमा कर रखा है उनपर ऐसा टैक्स लगाना चाहिये । आप अफसरों के खर्च को देखेंगे और उनकी बचत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कहीं पर किसी को बचत होती है तो सिर्फ अफसरों को ही बचत होती है । ऐसी हालत में उन पर बेटरमेंट लेभी न लगा कर आप यहां के गरीब किसानों पर लगाने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप तो बराबर देहातों में रहते हैं और इस तरह से किसानों की हालत आपसे छिपा हुई नहीं है, आप जानते हैं कि आज दिहात में किसानों की माली हालत एकदम खराब हैं और उनकी पैदावार दिनोंदिन घटती जा रही है । हमारे तिवारी जी ने एलसेशियन डौग का जिक्र किया है। इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के कुत्तों को हमारे अंग्रेज अफसर भी पालते थे और आज भी हमारे बड़े-बड़े अफसर इनको पालते हैं । अगर आप किसी भी बड़े अफसर की कोठी पर पहुंच जांय तो आप उनकी कोठी पर एक अलसेशियन डौग पाइयेगा । आज किसानों की तो यह हालत है कि उनके वदन पर या तो कपड़े ही नहीं हैं और जो हैं वे गंदे हैं और उनको साफ करने के लिये उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे साबुन खरीद सकें लेकिन इन बड़े अफसरों के एक-एक अलसेशियन डौग पर कम से कम २०० से लेकर २५० रुपया प्रतिमाह खर्च है ।

अध्यक्ष—तब आप क्यों चाहते हैं कि वे लोग कुत्ता नहीं पोसें ?

श्री रूपलाल राय—उनके पास पैसा है और इसीलिये तो वे लोग इस कुत्ते को पोस सकते हैं आज इस देश के गरीब किसान की माली हालत ऐसी खराब है कि वह अपने कपड़ों को साफ करने के लिये एक साबुन तक नहीं खरीद सकता है ।

अध्यक्ष—आप हरेक आदमी के यहां जाकर यह नहीं पता लगा सकते ह कि वह किस तरह से अपना पैसा खर्च कर रहा है, कहां से कितना पैसा आता है और उसे किस तरह से किस चीज पर खर्च करता है । इसलिये अफसरों के खर्च का जिक्र न करें ।

श्री रूपलाल राय—अच्छी बात है । लेकिन इन सब चीजों को देखने से यही पता चलता है कि सरकार का जो रवैया है और जिन लोगों को बेटरमेंट हुआ है उन पर तो वह किसी तरह की लेभी न लगा कर उन लोगों पर लेवी लगाने जा रही है जिनकी माली हालत बहुत ही खराब है और वे आह भी भरने लायक नहीं हैं । आज ट्रेजरी बेंच की ओर भी जितने माननीय सदस्य बैठे हुये हैं उनका भी यह सर्वप्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे सरकार को यह कहें कि वह इस तरह की लेवी न लगाये । जहां तक विरोधी दल का सवाल है, हमारा इतना ही अधिकार है कि हम जनता की आवाज को सदन के सामने पेश करें और सरकार के इस तरह के बिल का विरोध करके उसको उचित सलाह दें कि उसे इस तरह का बिल न लाना चाहिये । बहुत से माईनर और मिडियम स्कीम ठीकेदारों के कहने से ही बने हैं जिनकी जानकारी जनता को नहीं है । जब बेनिफिशियरी लिस्ट बनाने की बात आती है तो जनता का हस्ताक्षर जाल कर लिया जाता है और इस तरह से जनता से इसका पैसा वसूल किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस चीज की जांच करानी चाहिये और जिस स्कीम की जानकारी जनता को नहीं है और जो पहले की बनी हुई है उसको तो वह बिलकुल छोड़ दे । अब जो स्कीम वह बनावे और उसके बाद ४ साल के अन्दर यदि जनता को उससे फायदा पहुंचे और किसानों की पैदावार बढ़े तो उनसे इस तरह की लेभी वसूल करना ही न्यायसंगत होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामदेव सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बिल के नाम के ऊपर ही आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इस बिल का नाम है "बिहार इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन (बेटरमेंट कंट्रीब्युशन) बिल, १९५८" और जो बेटरमेंट कंट्रीब्युशन शब्द रखा गया है उसका अर्थ होता है बेहतरी चंदा लेकिन इस बिल को देखने से बेहतर काम के लिये चंदा लगेगा, यह नहीं है ।

अध्यक्ष—बिल के भीतर तो लेवी शब्द का इस्तमाल किया है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—मैं तो आपका ध्यान सिर्फ इसके टाइटिल (शीर्षक) की ही ओर ले जाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष—किसी भी बिल के टाइटिल का अर्थ लगाने के लिये उसके भीतर भी जाना पड़ता है। इसमें यह लिखा हुआ है कि

"The State Government shall be entitled to levy and recover a betterment contribution...."

और इसका अर्थ लगाने के वक्त इसके भीतर भी आपको जाना चाहिये

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—मेरे कहने का यह मतलब है कि कंट्रीव्युशन का अर्थ होता है दान और दान का नाम लेकर लोगों को चकमा सरकार दे रही है और इसीलिये मैं आपका ध्यान इस बिल के नाम की ओर ले जाना चाहता हूं। इसको प्रमाणित करने के लिये मैं आपका ध्यान इस बिल की एक धारा की ओर ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष—यह चीज १८ क्लाज में है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—जी नहीं, हम क्लाज १६ का जिक्र कर रहे हैं। इसमें है कि यदि किसान कर नहीं दे सकेगा, चन्दा नहीं दे सकेगा तो समाहर्त्ता को यह अधिकार रहेगा कि वह भूमि पर प्रवेश करे और कर की वसूली कर ले। प्रवेश करने का अर्थ होता है कुर्की और जप्ती वह करेगा, कर नहीं देने पर। तो हम कहते हैं कि यह चन्दा कैसे हुआ, हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में दिया गया है कि यह चन्दा लिया जायेगा सिंचाई के लिए जल निकासी के लिए, उसकी विस्तार के लिए तथा निर्माण के लिए। मेरा कहना है कि सरकार का यह साधारण काम है किसानों की भलाई करना और सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करना। तो साधारण काम के लिए इस तरह से टैक्स लिया जाय, यह ठीक नहीं है। इसके लिए तो सरकार टैक्स लेती ही है जैसे नहर, ट्यूब-वेल इत्यादि के लिए टैक्स, लेकिन सरकार धीरे-धीरे दिन प्रति दिन इसे बढ़ाती ही जा रही है। मैं समझता हूं कि कंट्रीव्यूशन अनुचित है और अन्याय है। इसके अन्दर जो वर्क होगा वह नलकूप, नदी और पम्पिंग सेट वगैरह के जरिए होगा। मेरा कहना है कि नलकूप जो १९४६ में तैयार हुआ और उस पर टैक्स लगा और दिन प्रति दिन टैक्स किसी न किसी रूप में बढ़ता ही जा रहा है। सर्वप्रथम खरीफ फसल में ४ लाख गैलन पानी के लिए ७॥ रु० लगता था १९५२ के अक्टूबर में यह टैक्स बढ़कर दुगुणा हो गया यानी ७॥ रु० की जगह पर १५ रु० हो गया। उसके थोड़े ही दिनों के बाद १९५७ में उतने ही चार लाख गैलन पानी के लिए २२ रु० ६ आने और २५ रु० ६ आने कर दिया गया। जब असेम्बली में हमलोगों ने इसका विरोध किया तो इन्होंने उस रेट को घटाकर तीन पानी के लिए ८ रु० कर दिया। अभी भी बहुत से किसानों को ट्यूब-वेल से पानी पटाने का चार्ज प्रति एकड़ २५ रु० देना पड़ता है। तो आप पहले से ये सब टैक्स ले ही रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है? नलकूप अधिकांशतः खराब या टांर जमीन पर लगाये गये हैं जहां उपज बहुत कम होती थी।

अध्यक्ष—ट्यूब-वेल में सरकार का जितना खर्च पड़ा है उस खर्च को अगर वसूल करके दे दिया जाय तो हमेशा के लिए ही माफ हो जाय ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—आधा खर्च तो किसान देते ही हैं लेकिन ठीक प्रवन्ध नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अगर मंत्री महोदय अपने क्षेत्र से चन्दा मांग कर दे दें तो हमलोग भी मांग कर दे देंगे।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—छूट की व्यवस्था इस बिल में है, लेकिन इसके लिए शर्त्त है कि अगर एक मुस्त किसान ६ महीने में दे देंगे तो २० प्रतिशत की छूट दी जायेगी और अगर दो वर्ष में देंगे तो १५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी। समय-समय पर तरह तरह से वादे किए गए हैं। वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। गत वर्ष भी वादा किया गया था, उसके लिए परचा निकाला गया था, नोटिस निकाली गयी थी कि मरूआ, मकई, जिनोरा आदि के फसल में अकाल के समय किसानों को छूट दी जायेगी किसानों को सिर्फ ५ रु० प्रति एकड़ लगेगा, लेकिन वह नहीं पूरा हुआ, एक्सेस पानी होने पर भी कुछ छूट दे दी जायेगी, लेकिन छूट कहां तक दी जायगी कि ये बन्दूक लेकर पूरे रुपये करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए लाखों परचे छपवाये गए, हमारे पास अभी भी उसकी प्रतियां हैं। लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। वादे कुछ किए जाते हैं, कानून कुछ बनते और काम उसके विपरीत होता है।

बिहार में ४ करोड़ की आबादी है जिसमें आधे लोग ईख की खेती करते हैं। २८ मिलें हैं उसमें लाखों आदमी काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति हम नहीं समझ पाते हैं कि ईख की दर की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। १९४७-४८ में चीनी का दर ३५ रु० मन था, तो ईख का दाम था दो रुपये मन, १९४८-४९ में चीनी का दर था २८।। मन तो ईख का दर था १ रु० १३ आने मन, १९५१-५२ में चीनी ३०।। रु० मन था तो ईख था १ रु० १२ आने मन, १९५२-५३ से जब चीनी का दर और भी बढ़ता गया तो ईख का दर कम होता गया। आज भी ईख की कीमत १ रु० ५ आने और १ रु० ७ आने मन है। १९५२-५३ में मिल एसोसिएशन ने वादा किया था कि हम उपभोक्ताओं को २७ रु० मन चीनी देंगे, लेकिन चीनी का दर बराबर ३६ रु० मन ही रहा। आज चीनी का दर ४५ और ५० रु० मन हो गया है जब ईख की कीमत २ रु० थी तो चीनी का दाम १५ रु० मन था मगर आज चीनी जब ५० रु० मन है तो ईख का दाम सिर्फ १ रु० ७ आने है। इससे आप समझ सकते हैं किसानों को क्या लाभ हो रहा है। एक तरफ इस तरह की बात होती है और दूसरी तरफ बेटरमेंट कंट्रीब्यूशन लगाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजनल बिल था उसमें प्रशासन पर खर्च होता है ५.५ लाख रुपया के लगभग प्रथम वर्ग में राजस्व से २५ लाख रुपया आता है और इस तरह से

चलता रहता तो सब मिलाकर १५ वर्ष में हिसाब जोड़ने से ४ करोड़ ५ लाख रुपया हो जाता है। जमींदारी उन्मूलन के पहले जमीन से आय थी १ करोड़ ७५ लाख रुपया और जमींदारी उन्मूलन के बाद सेस लगाकर १८ करोड़ रुपया हो जाता है यानी करीब ग्यारह गुणा आय बढ़ जाती है।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

इसका मतलब यह है कि ११ गुणा के करीब जमींदारी उन्मूलन से आपकी आय में आमदनी होगी। तो फिर बेटरमेंट कंट्रीव्यूशन और यह तबाही और बरबादी का कंट्रीव्यूशन क्यों लगाया जाता है यह बात समझ में नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि इसमें यह कहीं निश्चित नहीं दिया गया है कि इतने पर टैक्स लगेगा। कहीं उन्होंने कहा है कि ५ लाख पर, कहीं १० लाख पर तो कहीं ऐसा है कि ट्यूब वेल्स में १५ हजार खर्च होता है तो १५ हजार पर कंट्रीव्यूशन लिया जायगा। नदियों के पम्पिंग सेट्स पर ८ हजार खर्च पड़ता है तो इतना ही पर कंट्रीव्यूशन लगेगा। यह कोई सिलसिला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस बिल में यह है कि जहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं भी हो सके और जहां ट्यूब वेल्स से सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका तो वहां उनलोगों को कंट्रीव्यूशन दे देना होगा अभी तक एक जोन बना हुआ है जैसे ट्यूब वेल्स का जोन है, कैनाल जोन है उसमें यह है कि अगर इसके फेल करने से या किसी तरह से किसानों को पानी नहीं मिल सके तौभी ये माफ नहीं करेंगे यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां ट्यूब वेल्स फेल कर जाय, सिंचाई नहीं हो सके, पानी सरकार नहीं दे सके तौभी आप किसानों से कर वसूल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा २१ में है कि सरकार की ओर से कुछ गलती हो जाय और उससे किसान तबाह हो जायं, बर्बाद हो जायं तौभी उनको इससे जो क्षति होगी वह नहीं मानी जायगी और इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी। यह भी उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार विनाश की ओर जा रही है। इस अवसर पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक राजा था जिसे नये-नये कपड़ों का बड़ा शौक था और हमेशा नित्य दिन नये-नये कपड़े बदलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके विरोधी लोगों के दिमाग में यह बात आयी कि इसे बेवकूफ बनाया जाय जिससे जनता में इसकी इज्जत घट जाय। उनमें से एक राजा के मंत्री के पास गया और उससे कहने लगे कि इस कपड़े को देखा जाय कि यह कितना अच्छा कपड़ा है लेकिन उसके हाथ में दरहकीकत कोई कपड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा गुण है कि कोई भी आदमी इसे देख नहीं सकता है और जो देखेगा वह मूर्ख है। मंत्री ने सोचा कि मैं देख तो नहीं रहा हूँ लेकिन यदि कहूँगा तो मूर्ख बन जाऊँगा। इसलिये उसने कह दिया ठीक है। बहुत अच्छा कपड़ा है। राजा के लायक है। फिर उसको राजा के पास मंत्री ले गये। आखिर नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन राजा हाथी पर चढ़कर नंगे बदन जो अपने ख्याल में कपड़ा पहने हुए थे सारे राज्य में घूमे। लोगों में यह प्रचार किया गया था कि जिसको कपड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा वह मूर्ख समझा जायगा। सभी लोग राजा को नंगे देख रहे थे लेकिन मूर्ख बनने के डर से कोई कहता नहीं था। अन्त में एक लड़के ने कह दिया कि राजा

नंगे घूम रहे हैं और फिर लोगों के मुंह से भी आवाज निकलने लगी कि राजा नंगे हैं। राजा को तब विश्वास हो गया और वे उस आदमी को पकड़वाने का आदेश दिया जिन्होंने राजा को इस तरह बेवकूफ बनाया था परन्तु वह तो था नहीं, भाग गया था। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस शासन में भी कुछ ऐसे विशेषज्ञ लोग हैं जो सरकार को ऐसी राय दे रहे हैं कि इस तरह का बिल लाया जाय जिससे डेमोक्रेसी तबाह और बर्बाद हो जाय और उसकी जगह पर वे अपनी ताना-शाही लायें। इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री केदार पान्डेय—यहां पर लड़की का पार्ट कौन खेल रहा है। (हंसी)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—मैं इसलिये कह रहा हूँ कि आपको जानकारी हो जाय कि आप नंगे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामदेव सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री राम जयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामदेव सिंह के मोशन का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल लाया गया है कि यदि किसानों की हालत सुधरेगी इन स्कीमों से तो टैक्स लगाया जायगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि १९५१ से आज तक कितनी स्कीमें एक्जीक्यूट हुई हैं और उनसे किसानों को क्या लाभ हुआ? मेरे यहां भी एक स्कीम एक्जीक्यूट की गई है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि किसानों की हालत और बिगड़ी है, सुधरी नहीं है। इसका मैं उदाहरण देकर आपको बतलाना चाहता हूँ। जिन लोगों को दिहातों के स्कूलों या दिहात के इलाके से सम्बन्ध है उन्हें मालूम होगा, हमारे एडुकेशन मंत्री तो कभी गये नहीं हैं, अगर गये होते तो पता चलता कि जनवरी के महीने में जो लड़के एडमीशन लेते हैं जुलाई में उनमें से २५ परसेन्ट लड़कों का नाम पैसे की कमी के कारण कट जाता है। इसी तरह जुलाई में कालेज में एडमीशन लेने के बाद कुछ लड़के इस आशा में रहते हैं कि सरकार से मदद मिल जायगी, फीस कालेज में माफ हो जायगी तो पढ़ सकेंगे लेकिन तीन चार महीनों के बाद उनमें में कितने लड़के कालेज छोड़ देते हैं। यदि किसानों की हालत अच्छी रहती और उनके पास पैसे रहते तो जैसा कि आज लोगों की इच्छा रहती है, वे अपने लड़कों को जरुर पढ़ाते। आप जानते हैं आज दिहातों से शहरों में अधिक लोग आने लगे हैं। मैंने देखा है कि किसान के लड़के लोग खेती नहीं करके, चाहते हैं कि चालीस या पच्चास रुपये की कोई नौकरी मिल जाय तो शहर में ही रहें और नौकरी करें। इसकी वजह है कि आज खेती का कोई ठिकाना नहीं रह गया है, कभी सूखा हो जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, काफी मिहनत करने के बाद भी जो पैदावार आज से दस साल पहले थी, नहीं हो पाती है।

दूसरी बात है कि आज से बीस-पच्चीस वर्ष पहले, जब मैं बच्चा था तो देखता था कि शायद ही दस-बीस गांव पर एक टी० बी० का बीमार देखने को मिलता था लेकिन आज देख रहा हूँ कि शायद ही कोई गांव इस बीमारी से बचा हुआ है। इसका ज्वलन्त

उदाहरण है कि आज किसानों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। आज खाद्य की जो स्थिति है, खाद्य की जो कमी है उसी को लेकर यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है, नहीं तो दिहात में यह बीमारी नहीं हो सकती थी क्योंकि हवा-पानी तो वहां शुद्ध मिलता ही है केवल खाने का सवाल है, वही ठीक नहीं मिल पाता है जिसका यह असर है।

अब मैं टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ। आज जितना भी टैक्स लगाया जा रहा है वह सब खेती के ऊपर ही लगाया जा रहा है। अब आप एक और टैक्स लगाने जा रहे हैं खेती के ऊपर बेटरमेंट लेवी के नाम पर। इधर दो-तीन वर्षों में जितने भी कानून बने हैं टैक्स लगाने के लिए उसके अनुसार मैं पाता हूँ कि खेती ही के ऊपर सब टैक्स लगाए जा रहे हैं। गत सत्र में एक बिल पास हुआ एजुकेशन सेस, यह भी किसान के ऊपर लगा, एक बिल पास हुआ बैलगाड़ी के ऊपर टैक्स लगाने के लिए, यह भी किसानों के ऊपर ही लगा। इस तरह मैं देखता हूँ कि इधर दो-तीन वर्षों से किसान के ऊपर और खास कर खेती के ऊपर बहुत तरह के टैक्स लगाए गए हैं। खेती के ऊपर रात दिन टैक्स लगाया जा रहा है।

सिंचाई विभाग में जिस तरह का काम चल रहा है उसको देखने से मालूम होता है कि वहां नौकरों का ही राज है, हमारे मिनिस्टर साहेब या डिप्टी मिनिस्टर साहेब कुछ नहीं करते हैं, अखबारों में जो निकलता है उसका असर भी कुछ हो सके, नहीं देखा जाता है। आज इनके नौकर जैसा चाहते हैं, जैसा आचरण चाहते हैं, करते हैं। उनसे कोई फायदा नहीं होनेवाला है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ।

हमारे थाने के कतरहट गांव में १९४७-४८ में बहुत जोरों की बाढ़ आयी थी। इस गांव में एक पईन थी जिससे दस गांव के खेतों की सिंचाई होती थी लेकिन आज आपके अफसर ऐसे हैं जिन्होंने घूस लेकर उस गांव से स्लूइस गेट को ले जाकर छीका गांव में लगा दिया है जिसका असर हुआ कि आज कतरहट गांव में पानी की बहुत कमी हो गयी है और उतनी फसल नहीं उपज पाती है, इस गांव के खेत सूख रहे हैं। हजारों बीघे में धान, ईख आदि नहीं उपज पा रहे हैं। मैंने इसके बारे में मंत्री महोदय को लिखा, पर पता नहीं वे कुछ करते हैं या नहीं, हालांकि मैं यह मानता हूँ कि वे काफी वृद्ध हो गए हैं लेकिन पेपर में जो निकलता है उस पर भी कुछ ऐक्शन होता है या नहीं इसका पता नहीं लगता है। लिखने का कोई असर नहीं हुआ। एक्जीक्युटिव इंजीनियर के पास लिखा उसका भी कोई असर नहीं हुआ तब हारकर मैंने जून के महीने में डी० एम० के पास जाकर उनसे कहा कि यदि वहां स्लूइश गेट नहीं बनेगा तो हम बांध को तोड़ देंगे। डी० एम० के कहने पर एक्सीक्युटिव इंजीनियर मेरे साथ गये। जिस पईन से हजारों बीघे जमीन की सिंचाई होती थी वहां जाकर उन्होंने एक नक्शा दिखला कर कन्टूर दिखलाकर कि यह जमीन ऊंची है इसलिए यहां पर पानी नहीं पहुँच पाता है। कतरहट की ऊँचाई १६७ फीट है और जहां पर बांध है वहां की ऊंचाई १६३ फीट है लेकिन मैं समझता हूँ कि आफिस में बैठे-बैठे लोग स्कीम बनाया करते हैं पर बिना जमीन पर गए कैसे मालूम होगा कि कौन-सी जमीन ऊंची है और कौन-सी जमीन गहरी है। यहां तो ऑफिस में बैठे-बैठे औसत निकाल लिया जाता है और उसी के हिसाब से काम होता है। मैं तो समझता हूँ कि यदि कतरहट की तरफ पानी बढ़ाया जाय तो वहां की सब जमीन दह जाय लेकिन इनके अफसर ऐसे हैं जो हमारे जिले में इस तरह की हालत मचाए हुए हैं। हमारे इलाके में जो एक्सीक्युटिव इंजीनियर गये हैं उनको गए शायद

दो वर्ष हुए हैं, इस बीच में वहां काम में तो तरक्की विशेष नहीं हुई है लेकिन उनके शरीर में जरूर तरक्की हो गयी है। उनका शरीर जितना लम्बा था उतना ही उनका पेट मोटा हो गया है। वे काफी मोटा हो गए हैं।

उपाध्यक्ष—इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—अच्छी बात है। इस तरह के काम से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस साल भी कतरहट में फसल सूख रही है और छीका में जहां पर स्लूइश गेट है वहां की फसल दह गयी, हमारी सरकार धान की फसल को नहीं बचा सकी। मैं पूछता हूँ कि जब धान दह गया और सरकार नहीं बचा सकी तो इनसे क्या फायदा होने वाला है?

शीतलपुर सेन्टर में १२ लाख मन गन्ना होता था लेकिन गत साल की जो घटना है, इम्बैंकमेंट बनने से पश्चिम साइड के किसान को हर्ज हो रहा है। इस साल जहां १२ लाख मन गन्ना होता था वहां तीन चार लाख मन हुआ है। इसकी वजह है कि इम्बैंकमेंट जो बना है वह ऊँचा है पश्चिम साइड के किसान इससे फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा वहां यातायात की भी कमी है वहां से शीतलपुर लाने में पांच ६ मील होकर जाना पड़ता है। वहां पर पुल नहीं बन सका इसलिये इतनी कठिनाई है। किसानों को इस तरह शीतलपुर भेजने में कोई फायदा नहीं है।

मैं समझता हूँ कि यदि यह बिल पास कर दिया गया तो इसका नतीजा होगा कि सरकार कोशिश करेगी कि जो स्कीम दस हजार की है वह बढ़कर दस लाख की हो जाय इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहां पड़ी गोपाल चौर स्कीम थी कोठिया में जिससे दो-चार साल पहले किसानों को काफी पानी मिलता था। यह काम ज्यादा-से-ज्यादा चालीस हजार का होगा लेकिन स्लूइश गेट का एस्टिमेट बहुत बढ़ गया है और दो लाख का हो गया है। कोठिया के किसानों ने यह कभी नहीं लिखा कि दो के बदले ६ कर दिया जाय। इस संबंध में कभी कोई एजिटेशन नहीं हुआ।

पोठिया में २ जगह मरम्मत करने के बदले ४ स्लूइश गेट जोड़ने की बात तय की गई लेकिन मार्च तक एस्टीमेट नहीं आया। वहां के किसान हमारे पास आये और बोले कि समय बीत रहा है परन्तु एस्टीमेट नहीं आया है। मैंने लिखा तो आषाढ़ के महीने में स्टीमेट बना। इस प्रकार सरकार के अफ़सर किसानों का विकास न देखकर अपना विकास देखते हैं। इनके अफ़सर कम एस्टीमेट वाले स्कीम को भी खर्चिला बना देते हैं।

उपाध्यक्ष—आप बहस को बिल तक सीमित रखें, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—जिस प्रकार रेवेन्यु विभाग ने कर्मचारियों को बुझारत करने का काम दे दिया है और उनके द्वारा किये गये बुझारत को वह सही मान लेती है उसी प्रकार इस काम के लिये भी जो कर्मचारी क्लासीफिकेशन करने के लिये

जायेंगे वे घूसखोरी बढ़ावेंगे। जिसके कारण किसान तबाह हो जायेंगे। आज जो परिस्थिति है उसमें यह बिल पास नहीं होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामदेव सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री लहटन चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैक्स का विरोधी तो हूँ नहीं और विरोधी दल के सदस्यों के जैसा इस सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करता कि टैक्स शब्द के नाम का ही विरोध किया जाय। मैं इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ कि सही ढंग से जो टैक्स लगना चाहिये वह लगाया जाय। तभी तो राज्य का काम चल सकता है। लेकिन इस बिल की कुछ खामियों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खामी तो यह है कि इस बिल से जो लाभान्वित क्षेत्र होगा उसको समझने का क्या माप दंड होगा, उसका डिफिनिशन कहीं भी नहीं है और यह इतना बड़ा सवाल है कि इसके कारण बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा और व्यवहारिक रूप में हमारे सामने दिक्कतें आयेंगी। मैं अपने कोशी इलाके का जिक्र करना चाहता हूँ जो प्रोटेक्शन लेवी के अन्दर में आ गया है और जबतक लाभान्वित क्षेत्र की निश्चित परिभाषा नहीं हो जाती, तबतक उसका जो असर होगा उसका विवरण मैं यहां रखना चाहता हूँ। आज से १०० वर्ष पहले कोशी जहां से बहती थी वहां से ७० मील पश्चिम चली गई है और लगभग ८,००० वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल है। बिहार में नेपाल को छोड़कर इसका क्षेत्रफल करीब ६,००० वर्ग मील में है। इसमें से बहुत-से क्षेत्र ऐसे हैं जो पचासों वर्ष पहले इसके चंगुल से मुक्त हो गये हैं वह तटबंध के कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक गति से कोशी की धारा के हटते जाने के कारण हुआ। फिर नये क्षेत्र इसके चंगुल में आ गये जो आज से ४-५ वर्ष पहले अच्छे थे, वहां बाढ़ का प्रकोप नहीं था। इसके बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है, जो बांध के बाहर पड़ता है और बांध बनने के कारण वहां बाढ़ जाना बन्द हो गया है। इसे लाभान्वित क्षेत्र कहा जा सकता था, लेकिन इसके भी दो हिस्से हैं—एक हिस्सा वह है जहां पहले बाढ़ से हल्का पानी आता था जिससे प्रोडक्शन अच्छी होती थी और अब वहां पानी के अभाव में प्रोडक्शन घट गयी है। उस जगह पर महसूस किया जाता है कि पानी की कितनी आवश्यकता है। अतएव ऐसे हिस्से को लाभान्वित हिस्सा नहीं माना जा सकता लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि करीब दो-ढाई मील बांध के बाहर एक ऐसा दूसरा हिस्सा है, पहले बाढ़ के प्रकोप से बहुत अधिक पीड़ित रहता था और एम्बैंकमेंट बनने से वहां बाढ़ का प्रकोप नहीं है, वहां की खराबियां अब दूर हो गई हैं। इस प्रकार ७० मील की चौड़ाई के हिस्से में करीब २१२ मील की स्थिति अच्छी हो गई है जो इम्बैंकमेंट बनने के कारण ही हुई है। ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि यदि यह परिभाषा नहीं है कि लाभान्वित क्षेत्र किसको माना जाय तो एक बहुत बड़ी कठिनाई हमलोगों के सामने उठेगी। अफसर कहेंगे कि पूर्णियां जिले से लेकर बांध तक का सारा भाग लाभान्वित क्षेत्र में आता है। इसके विपरीत किसान अपनी बात कहेंगे। लाभान्वित क्षेत्र कौन है और कौन नहीं है इसके लिये कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। इसलिये मेरे ख्याल में बिल में इसको [illegible] लिये। लाभान्वित क्षेत्र की सीमा निर्धारण होना अत्यावश्यक है ताकि

भी फायदा नहीं हुआ है उसे कोशी ने कितना बर्बाद कर डाला है। कोशी जब-जब अपना रास्ता बदलती रही है तब-तब अपना विध्वंसकारी दृश्य छोड़ती गई है और उन हिस्सों को प्रायः अजीब ढंग के बालू से भरती गई है, जिससे उपज ऐसी घट गई है कि पता नहीं फिर २०-२५ वर्ष के बाद भी वहां पूर्व अवस्था उत्पन्न हो सके। आपको मालूम है कि कोशी का बालू जिस एरिया से गुजरता है उस एरिया को बर्बाद करता जाता है और उसके सड़ने में करीब २०-२५ वर्ष लग जाते है। अभी जो बिल में परिभाषा है उसके अन्दर ये क्षेत्र भी लाभान्वित क्षेत्र में आ जायेंगे और कहा जायगा कि इनका भी बेटरमेंट हुआ है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन पर बेटरमेंट लेवी लगायेंगे या नहीं? अतः इन बातों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और भी बात विचारणीय है। मैंने बताया है कि बाहर कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे लाभ हुआ और वह कोशी बांध के कारण हुआ है। लेकिन बेटरमेंट लेवी लेने के लिए इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि कोशी का जो प्रीकंडीशन था उससे बेटर होने वाले क्षेत्र को आप बेटर मानेंगे या जो कोशी के दौरान में बालू इत्यादि पड़ जाने के कारण बुरी गति हो जाने पर भी बाध बंध जाने के कारण उस बुराई में रुकावट आ गई भले ही कोशी के पूर्व की अवस्था नहीं आई, इतने ही से बांध या बराज के बनने से जिन लोगों की हालत पूर्व से अच्छी हो जायेगी उनसे अगर इस बेटरमेंट लेवी की मांग करेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा। कुछ हिस्सा अवश्य ऐसा है जिसपर बेटरमेंट लगाया जा सकता है लेकिन इस परिभाषा के चलते अंधाधुंध तरीके से बहुत-से ऐसे लोग भी पिस जायेंगे जिनको कोशी से कोई भी फायदा नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सिंचाई मंत्री को और अन्य मंत्री गण को इसका पता है कि कुछ गांवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्बैंकमेंट के भीतर पड़ गया है। और कुछ हिस्सा बाहर आ गया है। एक ही जमीन का कुछ हिस्सा भीतर पड़ गया है और कुछ हिस्सा बाहर रह गया है। आपको मालूम होगा कि एक ही टेनेन्ट की २०-२५ बीघा जमीन भीतर पड़ गई है और २५-३० बीघा जमीन बाहर रह गई है। अब प्रश्न है कि जिनकी जमीन एम्बैंकमेंट के भीतर चली गई है और बर्बाद हो गई है, उनकी क्षतिपूर्ति आप नहीं करने जा रहे हैं किन्तु उसी किसान की कुछ जमीन जो बाहर पड़ी है तो उनसे किस सिद्धांत पर बेटरमेंट लेवी चार्ज करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जिस पर्टिकुलर टेनेन्ट की जमीन बांध के भीतर में पड़ गई है, विनाश से बचाने के लिये अपनी जमीन छोड़ दी है, कुछ जमीन बाहर रह गई है तो उनसे पूरी जमीन जो बाहर पड़ी हुई है उसके लिये बेटरमेंट लेवी लेना गैरमुनासिब होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस पर्टिकुलर टेनेन्ट की जमीन अन्दर चली गई है उनको बाहर की जमीन पर उतने हद तक की छूट मिलनी चाहिये जितनी जमीन भीतर है। उदाहरणार्थ किसी किसान की अगर ५० एकड़ जमीन में से २० एकड़ जमीन बांध के भीतर पड़ गई है और ३० एकड़ बाहर है तो सिर्फ १० एकड़ जमीन पर ही बेटरमेंट लगना चाहिये।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री लहटन चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, ...

उपाध्यक्ष—आपका समय हो गया है। आप बैठ जाइये।

श्रीमती शकुन्तला देवी—उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह ने बिहार इरिगेशन एन्ड फ्लड प्रोटेक्शन (बेटरमेंट कंट्रीव्यूशन) बिल, १९५८ को जनमत जानने के लिए परिचारित करने का जो संशोधन दिया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ....

सभा शुक्रवार तिथि २५ सितम्बर, १९५९ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
तिथि २४ सितम्बर, १९५९।

दैनिक निबंध।

(वृहस्पतिवार, तिथि २४ सितम्बर १९५९।)

पृष्ठ।

विचाराधीन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार इरिगेशन ऐंड फ्लड प्रोटेक्शन (बेटरमेंट कंट्रीब्यूशन) बिल, १९५८। श्री रामदेव सिंह द्वारा जनमत जानने के लिये दिये गये संशोधन तथा मौलिक विधेयक पर विचार —(क्रमशः)। २—२७

DAILY DIGEST.

(*Thursday, the 24th September* 1959.)

	PAGES.
Bill under consideration :	
The Bihar Irrigation and Flood protection (Betterment Contribution) Bill, 1958 as reported by Select Committee. Further discussion on the Amendment given notice of by Shri Ramdeo Singh for circulation of the Bill for the purpose of eliciting opinion thereon on the Original motion of consideration of the Bill (*Contd.*).	2—27

बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ए राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि० स० मु० (एल० ए०) ३३१—मोनो—८९६—१८-१०-१९६०—ज०प०